पटना नगर निगम
पटना म्युनिस्पल कारपोरेशन
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Sani/VI/S/185/314/2022
पत्रांकः 609.1
दिनांकः 11/05/2022
Date: 11.05.2022
2022205091

कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम वर्त्तमान में प्रशासनिक एवं विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिकोण से कुल 06 (छ:) अंचलों के 75 वार्डो में विभक्त किया गया है। पुनः ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्यो में विशिष्टयों का समावेश किये जाने के उद्देश्य व उन उद्देश्यों की फलाफल प्रतिपूर्त्ति हेतु न्यूनतम 04–04 वार्डो पर एक जोन के गठन तथा प्रत्येक जोन में एक जोनल निरीक्षक की पदस्थापना अपरिहार्य प्रतीत हो रही है। जोन के रूप में 04–04 वार्डो के संघटन से अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यो सहित अतिक्रमण, खटाल उन्मूलन, अवैध मीट मछली व कुक्कुट व्यवसायों के विरूद्व अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों व जुर्माने की कार्रवाई तथा प्रवर्त्तन संबंधी निगम के दायित्वों के निर्वहन में गतिशीलता प्राप्त हो सकेंगी। उपरोक्त के आलोक में पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में निम्न जोनल ईकाईयों का गठन किया जाता है:–

क्र0स0	अंचल का नाम	जोनल इकाई	जोनल ईकाईयों के अन्तर्गत वार्डो का नाम
1.	नूतन राजधानी अंचल	जोन:–1	03, 04, 09 एवं 10
		जोन:–2	11, 12, 13 एवं 14
		जोन:–3	15, 16, 17 एवं 18
		जोन:–4	19, 21, 28 एवं 37
2.	पाटलीपुत्र अंचल	जोन:–5	01, 02, 05 एवं 06
		जोन:–6	07, 08, 20 एवं 22
		जोन:–7	22ए, 22बी, 22सी एवं 23
		जोन:–8	24, 25, 26 एवं 27
3.	कंकडबाग अंचल	जोन:–9	29, 30 एवं 31
		जोन:–10	32, 33, 34 एवं 35
		जोन:–11	44, 45, 46 एवं 55
4.	बॉकीपुर अंचल	जोन:–12	36, 38, 39 एवं 40
		जोन:–13	41, 49, 50 एवं 51
		जोन:–14	42, 43, 47 एवं 48
5.	पटना सिटी अंचल	जोन:–15	62, 66, 67 एवं 68
		जोन:–16	69, 70, 71 एवं 72
6.	अजीमाबाद अंचल	जोन:–17	52, 53, 54 एवं 58
		जोन:–18	56, 57, 61 एवं 63
		जोन:–19	59, 60, 64 एवं 65

उपरोक्त प्रत्येक जोन के लिए एक–एक जोनल निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो पदसोपान क्रम में मुख्य सफाई निरीक्षक के मातहत कार्य करेंगें तथा जोन से संबंधित वार्ड के सफाई निरीक्षक के वरीय प्रभारी होगें। प्रत्येक जोनल निरीक्षक अपने–अपने जोन के अन्तर्गत समग्र सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध खटाल, अवैध मीट, मछली व कुक्कुट व्यवसाय, परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलापों, अवैध निर्माण व विधिसंगत जुर्माने की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगें। सारस्वरूप जोनल निरीक्षक निम्न महत्वपूर्ण कार्यो का निष्पादन करेंगें:–

1. जोन के अन्तर्गत सभी वार्डो की नियमित सफाई का अनुश्रवण व भ्रमण,
2. मानसून के समय जोन क्षेत्र में QRT के रूप में कार्यरत रहेंगें। जल जमाव की सूचना प्राप्त होने पर अधिकतम 20 मिनट के अन्दर Respond करना सुनिश्चित करेंगें,
3. अतिक्रमण, खटाल उन्मूलन, अवैध मीट मछली व कुक्कुट व्यवसायों के विरूद्व अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों व जुर्माने की कार्रवाई तथा प्रवर्त्तन संबंधी निगम के दायित्वों के निर्वहन;

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः ....

Date / दिनांकः ....

जोनल निरीक्षकों के पदस्थापन उपरान्त सभी जोनल निरीक्षकों को एक सप्ताह के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था शीला ईरानी, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के निदेशन में किया जाएगा। जोनल निरीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण एवं दायित्वों के संपादन हेतु एक–एक बोलोरो पिकअप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी साथ ही जोनल निरीक्षकों के साथ विद्युत पम्प के संचालन के लिए 01–1 इलेक्ट्रीशियन सहित प्रति जोन में 05–05 श्रमिकों का एक दल भी विद्यमान होगा। जिनका उपयोग जोनल निरीक्षक सफाई कार्यो के अतिरिक्त अन्य दायित्वों के निर्वहन हेतु एक QRT के रूप में कर सकेंगें।

उपरोक्त आदेश सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा।

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।

ज्ञापांकः–..., दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–

1. सभी प्रभारी मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/प्रभारी सफाई निरीक्षक, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी नगर प्रबंधक पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. सभी कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. उप नगर आयुक्त, (सफाई) पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. उप नगर आयुक्त (स्थापना) पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि 48 घन्टे के अन्दर जोनल निरीक्षक के पदधारण हेतु उचित योग्यता वाले कर्मियों की सूची अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगें।
8. अपर नगर आयुक्त (सफाई) पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।